भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2875

28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में इस्पात का उत्पादन

2875. श्री सैयद जफर इस्लाम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में इस्पात के उत्पादन में दर्ज किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अंतरराष्ट्रीय संक्षणवादी उपायों के विरुद्ध सुरक्षा से लैस करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) स्टील रिसर्च और टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) के तहत शुरू की गई/शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश में इस्पात उद्योग की स्थापना करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएँगे?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान, तत्संबंधी अवधि में प्रतिशतता परिवर्तन के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	**उत्तर प्रदेश**	
	कच्चा इस्पात उत्पादन (हजार टन में)	**प्रतिशतता परिवर्तन**
2018-19	1321	32.0
2019-20	1198	-9.3
2020-21	1005	-16.1
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन;		

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका सिर्फ एक सुविधाप्रदाता की है, जो इस्पात क्षेत्र की दक्षता, कार्य-निष्पादन को बेहतर करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। इसके लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ग): मंत्रालय के अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत, ऑटोमेशन, अपशिष्ट कम करने, दक्षता, खपत में वृद्धि करने आदि के लिए परियोजनाएं शुरू की गई है। यह उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश के लिए है। इसके अलावा, इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, देश में कहीं भी इस्पात उद्योग की स्थापना से संबंधित निर्णय प्रवर्तकों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं।

****